उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-44/2020/210/92-2-2020-108(जॉच)/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 14 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहयक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड जालौन स्थान उरई (तत्कालीन कैशियर, प्रखण्ड हमीरपुर) द्वारा प्रखण्ड हमीरपुर के कार्यकाल में की गई वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2248/ग्रा0अ0वि0/स्था0-2पत्रा0-71/जांचहमीरपुर /2018-2019, दिनांक 04.02.2019 के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-176/92-2-19-108जांच/2017, दिनांक 16.01.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी के कार्यालय आदेश संख्या-1426/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0) /ग्रा0अ0वि0/स्था0/2018-19, दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहयक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड जालौन स्थान उरई को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी के कार्यालय आदेश संख्या-1580/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0)/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2018-19, दिनांक 27.02.2019 जिसके द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-1426/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0)/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2018-19, दिनांक 06.02.2019 द्वारा निलम्बित श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहयक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड जालौन स्थान उरई जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 28.02.2019 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत प्रकरण के सम्यक विचारोपरान्त श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहायक को अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहने के प्रतिबंध के साथ निलम्बन से बहाल किया गया तथा निदेशालय के पत्र संख्या-जी-260ए/ग्रा0अ0वि0/स्था0-2/पत्रा0-71/जांच-हमीरपुर/2019-20, दिनांक 11.03.2019 के परिपालन में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी ने कार्यालय आदेश संख्या-1426/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0)/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2018-19, दिनांक 06.02.2019 के द्वारा नियम-7 के अन्तर्गत श्री ओमरे के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जांच को कार्यालय आदेश संख्या-1729/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0)/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2019-20, दिनांक 13.03.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

3- जांच अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी के पत्र संख्या-2984/ग्रा0आ0वि0/एस0टी0/जांच पत्रा0/2018-19, दिनांक 15.03.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहयक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड जालौन स्थान उरई के विरूद्ध अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी के पत्र संख्या-1524/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0)/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2018-19, दिनांक 21.02.2019 द्वारा निर्गत अनुमोदित आरोप पत्र जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी को प्रेषित करते हुए बचाव उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करते हुए अपचारी अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर दिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 16.04.2019 द्वारा जांच आख्या अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी को उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी के पत्र दिनांक 18.04.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया। अपचारी अधिकारी श्री ओमरे का अभ्यावेदन दिनांक 04.05.2019 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जालौन स्थान उरई के पत्र दिनांक 07.05.2019 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी को उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत है:-

<u>अरोप संख्या-1</u>

प्रखण्ड हमीरपुर में श्री रमेश चन्द्र ओमरे द्वारा प्रखण्डीय स्टोर में 3200 बोरी सीमेंट की फर्जी आपूर्ति दर्शाते हुए मु0 रू0 8,96,000.00 (आठ लाख छयानवे हजार रू0) की धनराशि का फर्जी भुगतान कराया गया है, जिसके लिये श्री ओमरे को अंशतः मु0 रू0 2,98,000.00 (दो लाख अट्ठानवे हजार रू0) की शासकीय धनराशि के गबन का उत्तरदायी पाया गया, जिसके लिये उनको आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर:-</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप संख्या-1 के संबंध में उल्लेख किया गया है कि 3200 बोरी सीमेंट की आपूर्ति का बिल संख्या-01 दिनांक 27.03.2012 मु0 रू0 8,96,000.00 धनराशि का भुगतान प्रिज्म सीमेंट लि0 बांदा माध्यम शिवहरे ट्रेर्डस, जनपद बांदा के नाम चैक संख्या-461634 दिनांक 03.09.2012 को हुआ है, जिसका अंकन माप पुस्तिका संख्या-168 पृष्ठ संख्या-53बी में किया गया है, जिसमें मापें सहायक अभियन्ता द्वारा चैक की गयी है तथा बिल का प्री-आडिट उनके द्वारा किया गया है। इसके पूर्व भी माह जनवरी, 2012 में 2900 बोरी सीमेंट का भुगतान माप पुस्तिका संख्या-168एल के पेज संख्या-52 में किया गया है, जिसमें भी उनके द्वारा प्री-आडिट किया गया है तथा सहायक अभियन्ता द्वारा पास करके अधिशासी अभियन्ता द्वारा भुगतान किया गया है। साक्ष्य हेतु माप पुस्तिका सं0-168एल पेज सं0-52 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। उपखण्ड स्तर पर 3-एस प्रपत्र तैयार करवाकर 4-एस तैयार किया गये है तथा उसी आधार पर माह मार्च, 2012 की लेखाबंदी हुई है। माह जनवरी, 2012 से माह मार्च, 2012 तक 2एस प्रपत्र तैयार नही हुये है। श्री राजबली, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (स्टोर) की कार्यावधि 21.03.2012 तक थी। चूंकि शासन के आदेश के क्रम में श्री राजबली, सहायक अभियन्ता पद से अवर अभियन्ता पर परिवर्तित हो गये थे, उन्हीं के द्वारा 3एस प्रपत्र सीधे बिना 2एस प्रपत्र के तैयार किये गये है। श्री राजबली, तत्कालीन सहायक अभियन्ता द्वारा 3एस में 2900 बोरी सीमेंट तो ले लिया गया परन्तु 3200 बोरी सीमेंट जिसका भुगतान सितम्बर, 2012 मे हुआ था उसे नही लिया गया है। यहां यह भी उल्लेख किया है कि 3200 बोरी सीमेंट का भुगतान तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, श्री आर0पी0 कैथवार द्वारा किया गया है और उन्ही के द्वारा सहायक अभियन्ता (स्टोर) की हैसियत से बिल पास किया गया है। 31.03.2012 तक अवर अभियन्ता (स्टोर) श्री अखिलेश कुमार कौशल का कार्यकाल चल रहा है, जिनका दिनांक 01.04.2012 को बीमारी के कारण देहान्त हो गया था। 3200 बोरी सीमेंट का बाउचर संलग्नकर अवलोकनार्थ प्रेषित है। भुगतान उपरान्त उपरोक्त धनराशि का विवरण मासिक लेखा माह सितम्बर, 2012 के माध्यम से महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया गया, जिसको प्रखण्डीय लेखाधिकारी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवलोकनोपरान्त ही महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय में प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार यह भुगतान का अवलोकन कई अधिकारियों द्वारा भी किया गया है। उनके द्वारा माप पुस्तिका में बिल अंकन पाये जाने के उपरांत ही बिल का प्री-आडिट किया गया है, जिसका भुगतान अधिशासी अभियन्ता, द्वारा किया गया है। सीमेंट के रख-रखाव का दायित्व सहायक अभियन्ता (स्टोर) का होता है। अपचारी अधिकारी श्री ओमरे अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ होने के कारण उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में बिल का प्री-आडिट कर अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत किया गया, जिसका अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने स्तर से भुगतान किया गया है। इसमें श्री ओमरे का कोई दोष नहीं है। चूंकि श्री ओमरे द्वारा भुगतान प्रक्रिया के तहत भुगतान संबंधी अभिलेखों के आधार पर ही बिल का प्री-आडिट किया गया है।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना:-</u>

प्रखण्ड हमीरपुर के प्रखण्डीय स्टोर में 3200 बोरी सीमेंट की फर्जी आपूर्ति दर्शाते हुये रू0 8,96,000.00 का फर्जी भुगतान कराये जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी, श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहायक का कथन है कि 3200 बोरी सीमेंट की आपूर्ति का बिल-01 दिनांक 27.03.2012 मु0 रू0 8,96,000.00 धनराशि का भुगतान प्रिज्म सीमेंट लि0 बांदा माध्यम शिवहरे ट्रेर्डस, जनपद बांदा के नाम चैक संख्या-461634 दिनांक 03.09.2012 को हुआ है, जिसका अंकन माप पुस्तिका संख्या-168 पृष्ठ संख्या-53बी में किया गया है। आरोप पत्र के साथ संलग्न उक्त संदर्भित माप पुस्तिका संख्या-168 के पृष्ठ संख्या-53बी का अवलोकन किया गया, जिसमें 3200 बोरी सीमेंट की इन्ट्री है किन्तु इसमें बिल इन्टर्ड (एम0बी0) करने वाले अवर अभियन्ता (भण्डार) अथवा अन्य किसी भी अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं है और न ही माप पुस्तिका में आपूर्ति आदेश का संदर्भ अंकित है। डिस्पैच रजिस्टर का अवलोकन करने पर भी उक्त सीमेंट की अपूर्ति हेतु कोई भी आदेश न निर्गत होना पाया गया। इस संबंध में सही तथ्यों की जानकारी हेतु दिनांक 13.04.2019 को उनके द्वारा प्रखण्ड हमीरपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड हमीरपुर से वयक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड हमीरपुर द्वारा प्रकरण से संबंधित प्रस्तुत किया गये कतिपय अभिलेखों एवं मूल माप पुस्तिका का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड हमीरपुर से जानकारी भी ली गयी, जिसमें यह पाया गया कि 3200 बोरी सीमेंट के उक्त बिल की इण्ट्री किसी भी अंभियन्ता द्वारा नहीं की गयी। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड हमीरपुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 04.06.2018 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी, जो अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूट धाम बांदा को संबोधित है, जिसके प्रस्तर-1 मे उल्लिखित है कि "उक्त मापांकन का लेखन श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहायक/कैशियर की हैण्ड राइटिंग प्रतीत होती है" जो उनके अवलोकन में भी सही प्रतीत होना पाया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपचारी अधिकारी का यह भी कथन है कि उनके द्वारा प्री-आडिट किया गया है तथा सहायक अभियन्ता द्वारा पास करके भुगतान अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया है। माप पुस्तिका पर बिल इन्टर्ड (एम0बी0) करने वाले किसी अभियन्ता के हस्ताक्षर न होने के बावजूद भी बिल प्री-आडिट करना फर्जी आपूर्ति में संलिप्तता दर्शाता है। अपचारी अधिकारी का यह कथन सत्य है कि सीमेंट के रख-रखाव का दायित्व अवर अभियन्ता (स्टोर) एवं सहायक अभियन्ता (स्टोर) का होता है, किन्तु उक्त संदर्भित 3200 बोरी सीमेंट की आपूर्ति हुई ही नहीं है, जैसा कि 3-एस रजिस्टर से भी स्पष्ट होता है, तो इसके रख-रखाव का कोई औचित्य ही नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी कर्मचारी श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहायक अपने बचाव उत्तर में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह विदित हो कि उक्त संदर्भित 3200 बोरी सीमेंट की आपूर्ति हुई है।

जांच का निष्कर्ष:-

अपचारी अधिकारी श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहायक द्वारा 3200 बोरी सीमेंट के भुगतान हेतु माप पुस्तिका में स्वयं द्वारा मापांकन किया जाना प्रतीत होने एवं बिना अवर अभियन्ता के माप पुस्तिका में मापांकन किये बिल का प्रीआडिट करने के दोषी पाये गये। अत: आरोप संख्या-1 स्थापित पाया गया।

आरोप संख्या-2

प्रखण्ड हमीरपुर मे श्री रमेश चन्द्र ओमरे द्वारा माह सितम्बर, 2012 में 3200 बोरी सीमेंट के फर्जी आपूर्ति आदेश निर्गत कराकर मु0 रू0 8,96,000.00 का धनराशि का फर्जी भुगतान कराया गया। इसके पश्चात् आपूर्ति आदेश बिल बाउचर श्री गौरव कौशल, कनिष्ठ सहायक को हस्तगत नहीं किये गये है। शासकीय अभिलेखों की हेराफेरी करने के लिये उनको आरोपित किया गया।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर:-

प्रखण्ड हमीरपुर में माह सितम्बर, 2012 में माप पुस्तिका में बिल अंकन पाये जाने एवं माप पुस्तिका के साथ-साथ बाउचर उपलब्ध होने पर भुगतान हुआ है।

इस संबंध में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री आर0पी0 कैथवार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल के समय आपूर्ति के माध्यम से ली गयी सीमेंट की जांच तत्कालीन मुख्य अभियन्ता महोदय श्री ए0के0 गर्ग द्वारा कई बार की गयी थी, जिसमें बाउचरों की मूल प्रतियां मांगी गयी थी। इसके बाद जांच तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता महोदय श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय द्वारा भी गयी थी। उसी समय उनके द्वारा उन सभी सीमेंट के बाउचरों की छायाप्रतियां कार्यालय हित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर कराकर रख ली थी। जिसमें 3200 बोरी सीमेंट का बाउचर भी है, जिसकी प्रति उनके द्वारा पूर्व में ही निलम्बित प्रकरण के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपनी रिट याचिका संख्या-18167/2018 में प्रस्तुत की थी, जिसको उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से प्राप्त कर जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य स्वरूप में संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। उक्त बाउचर प्रखण्डीय कार्यालय हमीरपुर में ही उपलब्ध है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा शासकीय अभिलेखों में कोई हेरा-फेरी नहीं की गयी है। इस प्रकार श्री ओमरे पर लगाया गया उक्त आरोप निराधार एवं मनगढ़न्त है। श्री ओमरे द्वारा अनुरोध किया गया है कि कृपया मानवीय दृष्टिकोण से उक्त आरोप से मुक्त किया जाय।

अपचारी अधिकारी द्वारा की गयी प्रार्थना:-

अपचारी अधिकारी ने जांच अधिकारी से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा विभाग में ईमानदारी के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किया गया है। उनपर हमीरपुर की कार्यावधि में कार्यक्षमता से अधिक कार्यों का संपादन संबंधी दायित्व रहा है। फिर भी उनके द्वारा अपनी क्षमता से अधिक कार्य का नियम संगत ससमय कार्य किया गया है और भरसक प्रयास किया जाता रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री ओमरे द्वारा सादर अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरालेख्य पर सहानुभूति विचार करते हुए बिन्दु संख्या-01 से 02 तक आरोपित आरोपों को अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल झांसी के कार्यालय आदेश दिनांक 13.03.2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करते हुए आरोपित आरोपों से मुक्त किया जाय।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना:-

आरोपित किया गया है कि 3200 बोरी सीमेंट के फर्जी आपूर्ति आदेश निर्गत कराकर मु0 रू0 8,96,000.00 का धनराशि का फर्जी भुगतान कराया गया। इस संबंध में अपचारी अधिकारी का कथन है कि प्रखण्ड हमीरपुर में माह सितम्बर, 2012 में माप पुस्तिका में बिल अंकन पाये जाने एवं माप पुस्तिका के साथ-साथ बाउचर उपलब्ध होने पर भुगतान हुआ है। किन्तु बिल अंकन इनके स्वयं के द्वारा किया गया प्रतीत होना पाया गया, जैसा कि अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड हमीरपुर के पत्र दिनांक 04.06.2018 से स्पष्ट है। एम0बी0 पर आपूर्ति आदेश संख्या का कोई संदर्भ अंकित नहीं है।

आपूर्ति आदेश व बिल बाउचर श्री गौरव कौशल, कनिष्ट सहायक को हस्तगत नही किये जाने एवं शासकीय अभिलेखों की हेरा फेरी करने के संबंध में अपचारी कर्मचारी का कथन है कि "श्री आर0पी0 कैथवार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल के समय आपूर्ति के माध्यम से ली गयी सीमेंट की जांच तत्कालीन मुख्य अभियन्ता महोदय श्री ए0के0 गर्ग द्वारा कई बार की गयी थी, जिसमें बाउचरों की मूल प्रतियां मांगी गयी थी।" किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा जांच हेतु मूल अभिलेख दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि इसके बाद जांच तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता महोदय श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय द्वारा भी की गयी थी, किन्तु जांच हेतु श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय अधीक्षण अभियन्ता को भी अभिलेख दिये जाने का कोई उल्लेख अपने बचाव उत्तर में नहीं किया गया।

अपचारी अधिकारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उसी समय उनके द्वारा उन सभी सीमेंट के बाउचरों की छायाप्रतियां कार्यालय हित एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के आधार पर कराकर रख ली थी, जिसमें 3200 बोरी सीमेंट का बाउचर भी है, जिसकी प्रति उनके द्वारा पूर्व में ही निलम्बित प्रकरण के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उनकी रिट याचिका संख्या-18157/2018 में प्रस्तुत की थी। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी द्वारा बिना कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति के कार्यालय के अभिलेख अपनी रिट याचिका में लगाये गये तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड हमीरपुर के निर्देशों के उपरान्त भी अपना चार्ज हस्तानान्तरित नहीं किया गया। कार्यालय में अविलम्ब सुलभ न होने से यह विदित होता है कि श्री ओमरे द्वारा अभिलेखों की हेराफेरी की गयी है।

जांच का निष्कर्ष:-

अपचारी कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यालय के अभिलेख अपनी रिट याचिका में लगाने एवं विधिवत चार्ज हस्तानान्तरित न करने के कारण अभिलेखों में हेरा-फेरी करने का आरोप स्थापित पाया गया। अत: आरोप संख्या-2 स्थापित पाया गया।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन:-

श्री रमेश चन्द्र ओमरे, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जालौन स्थान उरई ने अपने पत्र दिनांक 04.05.2019 के द्वारा जांच अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभिकथन प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा श्री ओमरे द्वारा उल्लेख किया गया कि शासनादेश दिनांक 22.04.2015 में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत जांच अधिकारी महोदय द्वारा जांच का निस्तारण नहीं किया गया है, जिसके कारण वे उक्त जांच से पूर्णतया असहमत है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रखण्ड हमीरपुर के अधिशासी अभियन्ता महोदय से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने पर उनके द्वारा बताये गयी बातों के आधार पर ही जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है। श्री ओमरे द्वारा प्रार्थना की गयी है कि उनके द्वारा पूर्व में जांच अधिकारी महोदय को अरोप पत्र के क्रम में दिये गये उत्तरालेख को मानते हुए उसमें विस्तृत अध्ययन कर अपने स्तर से जो भी उचित समझे निर्णय ले लिया जाय।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री रमेश चन्द्र ओमरे के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी अधिकारी जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हो गयें हैं, के विरूद्ध प्रमाणित आरोप संख्या-2 के संबंध मे किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नहीं रह गया है। अतः प्रशनगत प्रकरण मे परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 8,96,000.00 में से अपचारी अधिकारी के अंश रू0 2,98,666.00 की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 26.11.2019 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 20.12.2019 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5- मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2020 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड **"श्री रमेश चन्द्र ओमरे के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,98,666.00 की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्तिक देयकों से की जाय"** पर सहमति व्यक्त की है। अतएव अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी के कार्यालय आदेश संख्या-1426/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0)/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2018-19, दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री रमेश चन्द्र ओमरे, वरिष्ठ सहयक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड जालौन स्थान उरई सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी के कार्यालय आदेश संख्या-1729/ई-8(अनु0कार्य0पत्रा0)/ग्रा0अ0वि0/स्था0/ 2019-20, दिनांक 13.03.2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहंर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"श्री रमेश चन्द्र ओमरे के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,98,666.00 की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्तिक देयकों से की जाय"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-44/2020/210(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र सं0-66/3/ए.डी.सी./एस-12/2019-20, दिनांक 16-01-2020 के संदर्भ में।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1390 /ग्रा0अ0वि0/स्था0-2/पत्रा-71/जांचहमीरपुर/2019-20, दिनांक 13.01.2020 के सन्दर्भ में।

4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी।

6- जांच अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड झांसी।

7- श्री रमेश चन्द्र ओमरे, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जालौन स्थान उरई सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।